

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद-पत्र संख्या : 100/2014

वाद दायरी दिनांक : 09/07/2014

निर्णय दिनांक : 25/09/2018

1. श्रीमती पांची देवी पत्नी बक्ता,
2. कल्याण पुत्र बक्ता
3. भूरी पत्नी अखेराम
4. राजेन्द्र पुत्र अखेराम नाबालिग जरिये प्राकृतिका संरक्षिका माता श्रीमती भूरी पत्नी अखेराम।
5. हरिनारायण पुत्र बक्ता,
6. रामलाल पुत्र बक्ता,

समस्त जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।

— वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र भागीरथ, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।
2. श्रीमती राधा पत्नी रामकिशन, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।
3. तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955)

उपस्थिति - श्री हरीश कुमार साहू
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री अशोक कुमार दायमा
श्री ओमप्रकाश तंवर
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 25/09/2018

—: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2014 को प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया गया तथा



24
उपखण्ड अधिकारी
पद

तहसीलदार दूदू को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।

Page 2

दिनांक 02/06/2015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट हरसौली में पेश हुयी, जहां राजीनामा पेश नहीं होने से पत्रावली पुनः नियमित न्यायालय में पेश हुयी।

दिनांक 06/07/2015 को तहसीलदार दूदू के पत्र क्रमांक/भूअ./15/2226 दिनांक 29/06/2015 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 19/10/2015 को ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 1961 रकबा 1.95 हैक्टेयर पर श्रीमान अति० कलक्टर महोदय राज० के मुकदमा संख्या 308/07 से रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का स्थगन नोट है, इसलिये इसका वर्तमान में न्यायालय स्तर क्या है, के बाबत जानकारी हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी की गयी।

दिनांक 23/04/2018 को तहसीलदार दूदू से रिपोर्ट प्राप्त हुयी। जो शामिल पत्रावली की गयी। तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अनुसार खसरा नम्बर 1961 रकबा 1.95 हैक्टेयर पर श्रीमान अति० कलक्टर महोदय राज० के मुकदमा संख्या 308/07 से रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का स्थगन नोट हैं।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की नक्शे कुरेजात पर बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया, लेकिन दिनांक 18/09/2018 को प्रार्थी वादी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र पेश कर न्यायालय को अवगत करवाया कि खसरा नम्बर 1961 को छोड़कर मुताबिक नक्शे कुरेजात प्रकरण डिक्री कर दिया जावे, जिसमें वकील वादी को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थी/वादी के प्रार्थना-पत्र पर अनापत्ति जाहिर कर प्रकरण को नक्शे कुरेजात के अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार दूदू से प्राप्त नक्शे कुरेजात का गहनता से अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं अधिवक्ता वादी ने भी मुताबिक तहसीलदार दूदू के नक्शे कुरेजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है, चूंकि खसरा नम्बर 1961 रकबा 1.95 हैक्टेयर पर श्रीमान अति० कलक्टर महोदय राज० के मुकदमा संख्या 308/07 से रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का स्थगन नोट है, इसलिये उक्त खसरा नम्बर को

उपस्थित अधिकारी

छोड़ते हुये शेष सम्पूर्ण आराजीयात का उपर्युक्त विवेचन से मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हरसौली, तहसील दूदू का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा-अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है.में
1.	भूरी धर्मपत्नी अखैराम हि.1/20, हरिनारायण, रामलाल पि. बगता हि.2/5, कल्याण पुत्र बगता, पांची पत्नी बगता हि.2/5, राहिन पी. एन.बी.हरसौली मूर्तहीन, राजेन्द्र कुमार पुत्र अखैराम हि.1/20, जाति जाट सा0 देह खातेदार।	1379 / 1	0.35
		1891 / 1	0.71
		1892 / 1	0.23
		1922 / 1	0.42
		1926 / 1	1.68
		1927 / 1	2.46
		1958 / 1	0.10
		1959 / 1	0.86
		कुल किता 08	कुल रकबा 6.81 हैक्टेयर
2.	भूरीदेवी धर्मपत्नी अखैराम, राजेन्द्र पुत्र अखैराम हि. 1/5, हरिनारायण, रामलाल, कल्याण पि. बगता, पांची पत्नी बगता हिस्सा 4/5, जाति जाट सा0 देह	1884	2.53
		1962 / 1	1.97
		1960 / 1	0.02
		कुल किता 03	कुल रकबा 4.52 हैक्टेयर
3.	भूरीदेवी पत्नी अखैराम, राजेन्द्र पुत्र अखैराम हि. 1/5, हरिनारायण, रामलाल, कल्याण पि. बगता, पांची पत्नी बगता हि.4/5 जाति जाट, सा0 देह खातेदार	1383	0.25
		1384	0.08
		1385	0.39
		1386	0.20
		1388	0.15
		1389	0.20
		1390	0.06
		1768 / 1	0.67
		1888 / 1	2.1150
		1889 / 1	0.97
		1919 / 1	1.37
		कुल किता 11	कुल रकबा 6.4550 हैक्टेयर
4.	कल्याण, हरिनारायण, रामलाल पि. बगता, पांची धर्मपत्नी बगता हि. 4/5, भूरीदेवी पत्नी अखैराम, राजेन्द्र कुमार पुत्र अखैराम हि. 1/5 जाति जाट सा0 देह खातेदार।	2975 / 1923	0.29
		1918 / 1	0.4925
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.7825 हैक्टेयर
5.	राधा धर्मपत्नी रामकिशन जाति	1379	0.38



उपस्थित अधिकारी
पृष्ठ

	जाट सा0 देह खातेदार राहिन पीएनबी हरसौली मुर्त.	1891	0.86
		1892	0.63
		1893	1.71
		1922	1.06
		1926	1.16
		1927	1.35
		1957	1.69
		1958	0.66
		1959	0.34
		कुल किता 10	कुल रकबा 9.84 हैक्टेयर
6.	रामाकिशन पुत्र भागीरथ, जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन पी. एन.बी. हरसौली मुर्त0	1962	0.18
		1962/2	0.15
		1960	0.16
		कुल किता 03	कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर
7.	रामाकिशन पुत्र भागीरथ, जाति जाट सा0 देह खातेदार	1377	0.53
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर
8.	रामाकिशन पुत्र भागीरथ, जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन पी. एन.बी. हरसौली मुर्त0	1382	0.08
		1387	0.69
		1768	0.67
		1888	3.0650
		1889	0.33
		1919	1.37
		कुल किता 06	कुल रकबा 6.2050 हैक्टेयर
9.	रामाकिशन पुत्र भागीरथ जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन पी. एन.बी. हरसौली मूर्तहीन	1918/2	0.4925
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.4925 हैक्टेयर
10.	भूरीदेवी धर्मपत्नी अखैराम, राजेन्द्र कुमार पुत्र अखैराम हि.1/10, हरिनारायण, रामलाल पि. बगता हि.2/10, कलयाण पुत्र बगता, पांची ध.प. स्व0 बगता हि.2/10, रामाकिशन पुत्र भागीरथ हि. 1/2, जाति जाट सा0 देह खातेदार।	1919/2	0.05
		1382/1	0.02
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/09/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपस्थित अधिकारी
दूत (जयपुर)